To sanction the Master Plan of Julana Town

2. Sh. Amarjeet Dhanda, MLA:

"Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the Master Plan of Julana Town which has been forwarded by the District Administration is likely to be sanctioned by the Government?"

Reply

Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

The Draft Development Plan (DDP)-2041 AD of Julana, District Jind was approved 'in-principle' by the Government on 21.08.2019 for placing the same for receiving the recommendations from the District Planning Committee (DPC) and District Level Committee (DLC). The plan was approved in the meeting of DLC held on 11.11.2019 and DPC on 16.03.2020. The DDP-2041 of Julana was placed before the State Level Committee (SLC) held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Haryana on 19.08.2020. The Development Plan was approved/sanctioned by the SLC subject to incorporation of the decisions taken during the meeting, the recommendations of DLC/DPC and the proposals/suggestions to be sent by the concerned departments. The draft notification for inviting suggestions/objections will be issued and thereafter the same will be finally published as per the provisions of relevant Acts.

जुलाना शहर के मास्टर प्लान के अनुमोदन हेतू

2. श्री अमरजीत ढांडा, विधायकः

''क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए जुलाना शहर के मास्टर प्लान को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?''

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

जुलाना, जिला जींद की प्रारूप विकास योजना–2041 ई. को सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से 21.08.2019 को अनुमोदित किया गया था ताकि इसको जिला आयोजना समिति तथा जिला स्तरीय समिति की सिफारिशें प्राप्त करने हेतू प्रस्तुत किया जा सके। योजना को जिला स्तरीय समिति द्वारा 11.11.2019 तथा जिला आयोजना समिति द्वारा 16.03. 2020 को अनुमोदित किया गया था। जुलाना की प्रारूप विकास योजना 2041 ई. को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष 19.08.2020 को रखा गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा जुलाना की प्रारूप विकास योजना 2041 ई. को इस शर्त के साथ अनुमोदित/स्वीकृत किया गया कि बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों, जिला स्तरीय समिति तथा जिला आयोजना समिति की सिफारिशों तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों/सुझावों को योजना में सम्मिलित किया जाएगा। प्रारूप अधिसूचना को आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतू जारी किया जाएगा तथा इसके पश्चात् सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार इसका अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।